

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-14-2018-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 01 जनवरी 2019 से, जिला शिवपुरी की तहसील शिवपुरी की सीमाएं, उसमें से, राजस्व निरीक्षक वृत्त-02 शिवपुरी के पटवारी हल्का क्र. 39, 40, 41 एवं 63 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त-02 शिवपुरी के पटवारी हल्का क्र. 39, 40, 41 एवं 63 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील शिवपुरी नगर का सृजन करती है, जिसमें कुल 04 पटवारी हल्के होंगे और 12 ग्राम समाविष्ट होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय शिवपुरी में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-14-2018-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-14-2018-सात-6, भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 17<sup>th</sup> December 2018

No. F-1-14-2018-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limits of Tehsil Shivpuri of District Shivpuri from 1st January 2019, by excluding therefrom Patwari Halka No. 39, 40, 41 and 63 of Revenue Inspector Circle-2 Shivpuri and creates a new Tehsil Shivpuri Nagar by comprising of Patwari Halka No. 39, 40, 41 and 63 of Revenue Inspector Circle-2 Shivpuri, in which the total Patwari Halkas shall be 04 and villages shall be 12. The headquarter of the said Tehsil shall be at Shivpuri.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh  
HARI RANJAN RAO, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-15-2018-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 01 जनवरी 2019 से, जिला होशंगाबाद की तहसील होशंगाबाद की सीमाएं, उसमें से, नजूल क्षेत्र सहित राजस्व निरीक्षक वृत्त होशंगाबाद-1 के पटवारी हल्का क्र. 09 से 11 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और तहसील होशंगाबाद के नजूल क्षेत्र सहित राजस्व निरीक्षक वृत्त होशंगाबाद-1 के पटवारी हल्का क्र. 09 से 11 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील होशंगाबाद नगर का सृजन करती है, जिसमें कुल 03 पटवारी हल्के होंगे और 07 ग्राम समाविष्ट होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय होशंगाबाद में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-15-2018-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-15-2018-सात-6, दिनांक 17 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 17<sup>th</sup> December 2018

No. F-1-15-2018-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Hoshanhabad of District Hoshanhabad from 1st January 2019, by excluding therefrom Patwari Halka No. 09 to 11 of Revenue Inspector Circle Hoshanhabad-1 with Nuzul area and creates a new Tehsil Hoshanhabad Nagar by comprising of Patwari Halka No. 09 to 11 of Revenue Inspector Circle Hoshanhabad-1 with Nuzul area of Tehsil Hoshanhabad, in which the total Patwari Halkas shall be 03 and villages shall be 07. The headquarter of the said Tehsil shall be at Hoshanhabad.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
HARI RANJAN RAO, Principal Secy.